ई–मेल-cfaligarh@gmail.com.

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन–202122, दूरभाष–0571–2960088)

पत्रांक 513 / 14–1(44699 / 2020)दिनांकः अलीगढ़ःअगस्तः23 ,2022

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

विषयः– जनपद–हाथरस में नगला उम्मेद–नगला गुरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस– आगरा मार्ग) किमी0 03 (चैनेज–2.243) की बांयी पटरी खसरा संख्या–10 पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यूपी0 / एप्रोच / 44699 / 2020

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या–8वी / यू0पी0 / 06 / 68 / 2022 / एफ0सी0 / 146 दिनॉक 21.06.2022, एवं आपकी पत्र संख्या 3674 / 11सी दिनांक 22. 06.2022

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–234 / 35–1, दिनांक 16.08.2022

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र से भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ द्वारा लगायी गयी आत्तियों का निराकरण कर आख्या उपलब्ध करायी गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा प्रेषित आख्या में निम्न कमियाँ परिलक्षित हुई हैः–

1– भारत सरकार की आपत्ति संख्या 01 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्व भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के अन्तर्गत एच–2 केस संख्या 20 / हाथरस / 2022–23 जारी कर मु0 60,000.00 रुपये का जुर्माना वसूल कर लिया गया है। परन्तु ई–3 रसीद की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न नहीं की है।

2– वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन को न रोके जाने हेतु दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों का चिन्हांकन कर, प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के स्थाई आदेश संख्या–प–35 / 11–2 दिनांक 03.05.2005 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार 04 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध नही करयी गयी है। विभागीय दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्व कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया जाय।

3–प्रस्ताव के साथ संलग्न नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की गणना त्रुटिपूर्ण है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन किये जाने के पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रॉक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार Penalty की गणना की जाय।

अतः आपके द्वारा प्रेषित आख्या मूल में यथावत संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

22/08/2022

(अदिति शर्मा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक– 513 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड आई0ओ0सी0 भवन 65 / 2 संजय प्लेस आगरा–282002 को सूचनार्थ प्रेषित।

22/08/2022

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

8 D/Dman/land trans/hathras/44699 of 2020

Scanned with CamScanner